उत्तर प्रदेश शासन

पर्यटन अनुभाग

संख्या- 162/2021/776/41-2021-134(बजट)/2021

लखनऊ दिनांक 24 फरवरी, 2021

संख्या-90/2021/94/41-2021-134(बजट)/2021, दिनांक 04 फरवरी, 2021

का शुद्धि पत्र

वित्तीय वर्ष 2020-21 में मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अन्तर्गत जनपद प्रतापगढ़ के कतिपय 04 पर्यटन स्थलों के विकास हेतु शासनादेश संख्या-90/2021/94/41-2021-134(बजट)/2021, दिनांक 04 फरवरी, 2021 द्वारा वि0स0 पट्टी सहित अन्य वि0स0 क्षेत्रों के कार्यों हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई थी। परन्तु महानिदेशक, पर्यटन के पत्र संख्या-6221/मु0प0सं0यो0(40)/2020, दिनांक 12 फरवरी, 2021 द्वारा यह अवगत कराया गया है कि विधान सभा क्षेत्र पट्टी की परियोजना की कार्यदायी संस्था-ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग है एवं उक्त कार्यदायी संस्था को धनराशि का भुगतान डी0सी0एल0 खाते के माध्यम से किया जाता है, जिसके कारण स्वीकृत अन्य योजनाओं के साथ विधान सभा क्षेत्र-पट्टी की परियोजना से सम्बन्धित धनराशि का आहरण किया जाना सम्भव नहीं है। अत: महानिदेशक पर्यटन द्वारा विधान सभा क्षेत्र-पट्टी की योजना हेतु पृथक एवं अन्य विधान सभा क्षत्रों-रानीगंज, विश्वनाथगंज एवं सदर जिनकी कार्यदायी संस्था यूपीपीसीएल है, के आहरण हेतु पृथक से शासनादेश जारी करने का अनुरोध किया गया है।

2. उक्त अनुरोध के क्रम में एतद्द्वारा संदर्भगत शासनादेश संख्या-90/2021/94/41-2021-134(बजट) /2021,दिनांक 04 फरवरी, 2021 के प्रस्तर-2 में अंकित कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग ,प्रस्तर-2 की तालिका के क्रमांक-1 में अंकित वि0स0 पट्टी की परियोजना को तथा पृष्ठांकन के क्रमांक-**7** व 9 को विलोपित किया जाता है। उक्त के फलस्वरूप शासनादेश संख्या-90/2021/94/41-2021-134(बजट)/2021,दिनांक 04 फरवरी, 2021 में प्रदान की गई प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नांकित 03 प्रायोजनाओं के संबंध में जारी की हुई पढ़ी जायेगी :-

क्र0	**विधान सभा क्षेत्र**	**परियोजना का नाम**	**प्रस्तावित लागत (रू0 लाख में)**	**अप्रेजल समिति द्वारा आंकलित लागत (रू0 लाख में)**	**प्रशासकीय स्वीकृति (रू0 लाख में)**	**प्रथम किश्त के रूप में वित्तीय स्वीकृति (रू0 लाख में)**
1	**रानीगंज**	आदि शक्तिपीठ पौराणिक धाम मां बाराही देवी का सौन्दर्यीकरण एवं पर्यटन विकास कार्य।	50.39	48.93 (जी0एस0टी0 सहित)	48.93 (रूपये अड़तालिस लाख तिरान्नवे हजार मात्र जी0एस0टी0 सहित)	**24.46 (रूपये चौबीस लाख छियालिस हजार मात्र)**
2	**विश्वनाथ गंज**	बाबा भयहरणनाथ धाम का समेकित पर्यटन विकास कार्य	49.90	49.25 (जी0एस0टी0 सहित)	49.25 (रूपये उन्चास लाख पच्चीस हजार मात्र जी0एस0टी0 सहित)	**24.62 (रूपये चौबीस लाख बहसठ हजार मात्र)**
3	**सदर**	मां चन्द्रिका देवी धाम ग्राम सभा-सण्डवा चन्द्रिका प्रतापगढ़ का समेकित पर्यटन विकास कार्य।	49.98	46.98 (जी0एस0टी0 सहित)	46.98 (रूपये छियालिस लाख अट्ठान्नवे हजार मात्र जी0एस0टी0 सहित)	**23.49 (रूपये तेइस लाख उन्चास हजार मात्र)**

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र-पट्टी की परियोजना हेतु शासनादेश पृथक से जारी किया जायेगा । शासनादेश संख्या-90/2021/94/41-2021-134(बजट)/2021,दिनांक 04 फरवरी, 2021 में अंकित अन्य उपबन्ध एवं शर्ते यथावत रहेंगे।

4- यह शुद्धि पत्र वित्त विभाग के अशासकीय संख्या ई-7-356/दस-2021 दिनांक 23 फरवरी 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा हैं।

(गिरिजापति द्विवेदी)
उप सचिव।

संख्या- 162/2021/776(1)/41-2021-134(बजट)/2021 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- महानिदेशक पर्यटन उ0प्र0 लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
5- जिलाधिकारी, प्रतापगढ़।
6- संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8- प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
9- परियोजना प्रबंधक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 निर्माण इकाई-8, लखनऊ।
10- अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग प्रतापगढ।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 ,उ0प्र0 शासन।
12- उप निदेशक, पर्यटन प्रायागराज।
13- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग ।
14- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजापति द्विवेदी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.in से सत्यापित की जा सकती है ।